

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

देवीलाल

बनाम

मोहन सिंह



किस्म मुकदमा

प्राथमिक - पत्र

नं०

14

सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
18 ⁰² 21	<p>पत्रावली दर्ज राजिस्टर कर अप्रार्थीगण से सम्बन्ध भय न कर जारी होकर पत्रावली वास्ते जकार फिनांक 25/02/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	<p>no objection ↑ Saurabh 25/2/2021 (TDR)</p>
25 ⁰² 2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राथी देवीलाल एवं लालचन्द पिता नाराण कुम्हार जाति प्रजापति प्रिया कश्त निवासी ग्राम बसोदिना तहसील रावतभाटा जिला - चित्तौड़गढ़ ने ग्राम बम्बोरीखला पं० 88 जालखेडा स्थित आराजी नम्बर 123, 124 कुल कित्ता 02, रूबा 3.24 हे० कुल लगानी 19.20 फी० की कित्ता जिसी के कब्जे में दरवलन्दजी किये सैटलमेंट नम्बर अनुसार पत्थरगढी खरने के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी रकबा प्राथी वहन करेगी। कमिश्नर शुक्र 500/- रूपये अक्षर पायरेन रकबा प्राथी से कसूल है। पालनाथ तहसीलदार रावतभाटा को लिखा जावे कि पत्थरगढी की खचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी की जावे एवं केर विवाद हो तो पुनः पेश करें। पालना प्राप्त है। पत्रावली फ़ैसल शूमार लेकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;"></p>	